



पंचदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक 01.08.2014 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| <p>1. श्री ललित कुमार यादव,
संवि०सं०
श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह,
संवि०सं०
श्री सदानन्द सिंह,
संवि०सं०
डॉ० दाउद अली,
संवि०सं०</p> | <p style="text-align: center;">"दरभंगा जिलान्तर्गत मनीगाछी नेहरा धाना कांड सं०-72/2014, दिनांक 18.04.2014 में ग्राम पंचायत राजनेहरा पूर्वी की मुखिया सुनीत देवी एवं उनके पति श्याम सहनी पर पुलिस की मिली भगत से वादी द्वारा वृक्षारोपण, मिट्टी भराई आदि में गबन का आरोप लगाया गया । अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेनीपुर द्वारा भयादोहन की मंशा से अपने ज्ञापांक-590, दिनांक 25.06.2014 द्वारा कांड को सत्य मानते हुए अपने स्थानांतरण के एक सप्ताह बाद बैंकडेट में पर्यवेक्षण प्रतिवेदन जारी कर गिरफ्तारी का आदेश दिया । पर्यवेक्षण टिप्पणी में हीज निर्माण वृक्षारोपण आदि कई योजनाओं का जिक्र है जिसका कोई कार्य कराया नहीं गया न भुगतान हुआ । मुजफ्फरपुर के मिठनपुर धानान्तर्गत चर्चित गोलू अपहरण कांड सं०-99/2001 में संलिप्ता के कारण उक्त अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्लांबित किया गया था एवं कार्मिक विभाग में उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अभी भी चालू है । इनकी भूमिका सदैव संदिग्ध रही है ।</p> <p style="text-align: center;">अतएव उक्त झूठे मुकदमा को वापस लेने एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेनीपुर, दरभंगा की भूमिका को उच्चस्तरीय जाँच कराने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"</p> | <p>गृह
(आरक्षी)</p> |
|--|---|-------------------------|

1	2	3	4
2.	<p>डॉ० प्रेम कुमार, स०वि०स० श्री संजय सरावगी, स०वि०स० श्री विनोद नारायण झा, स०वि०स० श्री रामदेव महतो, स०वि०स० श्री अनिल सिंह, स०वि०स० श्री संजय सिंह (टाइगर), स०वि०स० श्री सत्यदेव नारायण आर्य, स०वि०स० श्री वीरेन्द्र सिंह, स०वि०स० श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, स०वि०स० श्री शिवेश कुमार, स०वि०स० श्री श्यामदेव पासवान, स०वि०स०</p>	<p>“गया शहर की आबादी एवं देश-दुनिया से आने-वाले पर्यटक एवं तीर्थ यात्रियों के बेहतर पेयजल आपूर्ति, सीवरेज व्यवस्था, फल्गू नदी के घाटों को जोड़ने, बेहतर सफाई, स्ट्रीट लाईट, पार्कों, तालाबों, घाटों का सौन्दर्यीकरण की योजनाओं का नगर विकास एवं आवास विभाग में डी०पी०आर० बनकर स्वीकृति हेतु लंबित है।</p> <p>अतः गया जिला के महत्व को देखते हुए नागरिकों एवं तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों की सुविधा हेतु लंबित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते है।”</p>	<p>नगर विकास एवं आवास</p>

हरेराम मुखिया

प्रभारी सचिव,


बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-29/14-

1165

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 30 जुलाई, 2014 ई०।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / गृह (आरक्षी) तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


30.7.14
(नियाज अहमद)

उप सचिव,


बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-29/14-

1165

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 30 जुलाई, 2014 ई०।

प्रति:-अवर सचिव, अध्याक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।


30.7.14
(नियाज अहमद)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

